न्यायालय सहायक कलेक्टर , पिण्डवाडा

पीठासीन अधिकारी : पर्वत सिंह चुण्डावत आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 59 / 2017

श्री मानाराम पुत्र भुबाजी जाति कुम्हार निवासी–झांकर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही ।

..... प्रार्थी

बनाम

1. श्री सोमाराम पुत्र पुनमाराम
2. श्री तलसाराम पुत्र पुनमाराम
   जातियान्–मेघवाल, निवासीयान्–झांकर तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही
3. श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा, जिला सिरोही

..... अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212

उपस्थिति : –

1. श्री उमेश पटेल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री संजय कुमार अग्रवाल अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से।
3. श्री गणपत सिंह कुम्पावत नायब तहसीलदार पेरोकार सरकार की ओर सें।

आदेश दिनांक 24.04.2018

प्रार्थी की ओर से अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, की धारा 212 के अन्तर्गत इस न्यायालय में हमारे समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने उक्त अनवानी प्रकरण का एक वाद अन्तर्गत धारा 183(ए), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का श्रीमान के न्यायालय के समक्ष पेश किया है जिसमें दर्ज तथ्यों के आधार पर प्रार्थी की जीत सुनिश्चित हैं। ग्राम झांकर पटवार हल्का जनापुर तहसील पिण्डवाडा में प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 184 / 3 रकबा 1.06 बीघा, खसरा संख्या 243 रकबा 2.13 बीघा, खसरा संख्या 293 / 1 रकबा 0.13 बीघा कुल 4.12 बीघा स्थित हैं। प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की खसरा संख्या 243 रकबा 2.13 बीघा के उत्तर दिशा की तरफ पश्चिम अप्रार्थीगण की भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 20.04.2017 को सुबह करीब 10.00 बजे प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 243 के उतरी छौर पर 10 फीट नाप चौडाई में तथा 30 फीट नाप लम्बाई में अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कार्य करने हेतु नीव खुदाई शुरू कर दी। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 243 का सीमाज्ञान आदेश क्रमांक 98 / 1512–13 दिनांक 25.06.1998 के जरिये सीमाज्ञान कराकर खसरा संख्या 243 व 249, 255 की सीमा पर पत्थरघडी कर निशान डलवाये थे तथा सीमापर दरख्त खड़े थे। कांटो की बाड की हुई थी। अप्रार्थीगण ने पक्का निर्माण हेतु

सहायक कलेक्टर, पिण्डवाडा

जे0सी0बी0 मशीन से प्रार्थी की खसरा संख्या 243 के उतरी छोर पर 10X30=300 वर्गफीट भूमि पर अवैध अतिक्रमण करते नीव खुदाई शुरू कर दी, प्रार्थी को जानकारी होने पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को समझाइश की तथा हल्का पटवारी से निर्माण रूकवाने का निवेदन किया, जिस पर अप्रार्थीगण ने पहले तो उक्त भूमि की एवज में अन्य जगह पर भूमि देने का कहा तब अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को धमकाते हुये कहां कि हम निर्माण करके रहेगे तुम्हारी हो सो कर लो। तुझे एससी/एसटी के झुठे केस में फंसा देगें। अप्रार्थीगण ने कुछ समय पहले ही खसरा संख्या 255 में से 11 बिस्वा भूमि किमतन खरीद की है तथा खसरा संख्या 255 व प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 243 के बीच बाड व दरख्त हटाकर साफ सफाई करते 10 फीट अन्दर अनाधिकृत प्रवेश होते हुये 30 फीट लम्बाई तक नीव खुदाई कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया हैं जिसका उसे कोई हक अधिकार नही हैं तथा प्रार्थी के हल्का पटवारी व भू–निरीक्षक से शिकायत कर भू–निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा अप्रार्थीगण को कार्य रोकने व निर्माण नहीं करने को कहने पर नहीं मानकर निर्माण जारी रखने से प्रार्थी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना–पत्र पेश करें। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार हैं। प्रार्थी की खातेदारी में प्रवेश होकर प्रार्थी को बेदखल करने व अवैध निर्माण करने का अधिकार अप्रार्थीगण को नहीं है व प्रार्थी का वाद आधार इस कथन पर आधारित है कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है अप्रार्थीगण ने जान बुझकर बावजुद विरोध अवैध अतिक्रमण कर प्रार्थी की खसरा संख्या 243 की भूमि के उत्तरी छौर नाप 10X30=300 वर्गफीट भूमि पर खसरा संख्या 243, 255 की सीमा पर लगी बाड व सीमा के निशान हटाकर, हरे दरख्त काटकर अवैध निर्माण कार्य शुरू किया है जिसे रूकवाने का व हटवाने का प्रार्थी कानुनन अधिकारी हैं। अप्रार्थीगण द्वारा अवैध अतिक्रमण करने व अवैध निर्माण कार्य शुरू करते दिनांक 20.04.2017 को नीवं खुदाई करने से तथा पशुओं के लिये सेड बनाने हेतु राजकीय सहायता राशि प्राप्त करने के लिये उक्त अवैध अतिक्रमण कर बावजुद विरोध निर्माण जारी रखे हुये हैं। प्रथम दृष्टया मजबुत वाद प्रार्थी के पक्ष में हैं। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 243 का खातेदार काश्तकार है, अप्रार्थीगण द्वारा नाप 10X30=300 वर्गफीट भूमि पर अतिक्रमण करने व निर्माण कार्य पूर्ण कर लेने से प्रार्थी अपनी भूमि से हमेशा हमेशा के लिये वंचित रह जायेगा तथा काफी नुकसान होगाा व वाद बाहुल्यता में उलझना पडेगा, जिससे सुविधाा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करवाया जाकर ता फैसला मूल वाद प्रार्थना–पद संख्या 2 में वर्णित प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि के संबंध में विरूद्व अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा ज़ारी करावें।

प्रार्थना–पत्र से न्यायालय प्रथम दृष्टिया सहमत होने से प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.05.2017 को न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण 1 ता 2 तथा श्री सरकार को नोटिस दिनांक 16.05.2017 को जरिये क्रमांक 4163 से जारी किया गया। नोटिस की तामिली पर

सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा

अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 ने अपने अधिवक्ता के मारफत जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गयाा । स्टेट की फोरमल पक्षकार होने से जवाब प्राप्त नही हुआ ।

प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उस पर अप्रार्थीण के जवाब को मध्य नजर रखते हुए अन्तिम बहस अप्रार्थीगण के अधिवक्ताओं की सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ को दोहराया गया तथा कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में अप्रार्थीगण ने जानबुझ कर बावजुद विरोध अवैध अतिक्रमण कर प्रार्थी की खसरा संख्या 243 की भूमि के उत्तरी छोर पर नाप 10X30=300 वर्गफीट भूमि पर खसरा संख्या 243, 255 की सीमा पर लगी बाड व सीमा के निशान हटाकर दरख्त आकर अवैध निर्माण कार्य शुरू किया हैं। जिससे नीव खुदाई करने से तथा पशुओ के लिए शेड बनाने हेतु राजकीय सहायता राशि प्राप्त करने के लिए बावजुद विरोध निर्माण जारी रखने से प्रार्थी अपनी भूमि से हमेशा हमेश के लिए वंचित रह जायेगा तथा काफी नुकसान व वाद बाहुल्यता में उलझना पडेंगा, जिससे सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में होने से ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण जारी करना फरमावें।

अप्रार्थीगण ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र को दौराते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को अस्वीकार कर कथन किया कि मैं प्रार्थी के वादग्रस्त भूमि पर निर्माण नहीं कर रहा हूं। इस संबंध में ऐसी रिपोर्ट भी रेकर्ड पर नहीं हैं। अप्रार्थी ने आगे यह भी कथन किया की मूल वाद संख्या 17/17 में विस्तृत जवाब दावा पेश किया गया हैं। उसे मध्य नजर रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण है तथा सुविधा संन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूलवाद प्रार्थना–पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित आराजी के सुविधाजनक उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पांबद किया जाता हैं।

(पर्वत सिंह चुण्डावत)
सहायक कलेक्टर ,पिण्डवाडा

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर दिनांक 04.04.2018 को हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(पर्वत सिंह चुण्डावत)
सहायक कलेक्टर, पिण्डवाडा